

तहसीलदार
कठुमार अलवर, राज.

न्यायालय तहसीलदार कठुमार (अलवर) राज.


कठुमार अलवर हल्का GIRACT का. नं. 110 रजु-20/10/21

कठुमार अलवर हल्का 91/1/2024

प्रकरण सं 06/KA/24

निर्णय दिनांक :- 30/11/2024

प्रकरण सं 06/KA/24 में प्रस्तुत हुई प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम तिवहडा का ख.नं. 1429 कुल रकबा 0.20 हेक्टर जमीन गण्ड में से 0.02 हेक्टर पर कपुर पासु अबलो पिठ रामलाल मखार पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कुजावाडा कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का टियपुरी द्वारा दिनांक 18/11/24 त्रिवेया कनाक को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय लाईव भू.अ.निरी. टियपुरी के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी कपुर पासु अबलो पिठ रामलाल जाति ब्राह्म निवासी तिवहडा को भू.अ.निरी. अधिनियम 1966 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील प्रतियां भेजी गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी नदी उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है। उक्त रकबा आ.ख.नं. 1429 रकबा 0.02 में से 0.02 हेक्टर कब्जा किया नदी के जो नियम है जमाने नहीं है सिहाजा डोरसायब को अतिक्रमित रकबा पर बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाने हैं एवं टण्ड स्वरूप लगान 15 paise का 50 गुणा 81 रूपये पैगवली आरोपित की जाती है मांगा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जायव पैगवली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी टियपुरी भू.अ.निरी. टियपुरी को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


कठुमार अलवर राज.
तहसीलदार
कठुमार, अलवर (राज.)

प्रतिनिधि :- प. ह.

उ. नं. 4 के पृष्ठ सं 117 पृष्ठ सं 01
नं. 2021-22 पृष्ठ सं 81
की कायमी की गई


कठुमार अलवर राज.
तहसीलदार
15/11/24